क्रम-संख्या—127

रजिस्ट्रेशन नम्बर—एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०—91 / 2014—16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, मंगलवार, 3 अगस्त, 2021

श्रावण 12, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 620 / 79-वि-1—21-2-क-7-2021

लखनऊ, 3 अगस्त, 2021

अधिसूचना

विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2021) जिससे **उच्च शिक्षा अनुभाग—1** प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:—

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2021)

[भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करती हैः—

1—यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2021 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे "मूल अधिनियम" कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1—क) के खण्ड (झ) में, शब्द "सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर" के स्थान पर शब्द "माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर" रख दिये जायेंगे।

अनुसूची का संशोधन

3—मूल अधिनियम की अनुसूची में, उक्त अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में क्रम संख्या—15 पर उपसंजात होने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, शब्द "सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर" के स्थान पर, शब्द "माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर" रख दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

———

आज्ञा से,
अतुल श्रीवास्तव,
प्रमुख सचिव।

———

No. 620(2)/LXXIX-V-1–21-2-ka-7-2021
Dated Lucknow, August 3, 2021

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2021 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 5 of 2021) promulgated by the Governor. The **Uccha Shiksha Anubhag-1** is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ORDINANCE, 2021

(U.P. ORDINANCE NO. 5 OF 2021)

[*Promulgated by the Governor in the Seventy Second Year of the Republic of India*]

AN

ORDINANCE

to further amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Ordinance, 2021. Short title

2. In section 4 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, hereinafter referred to as the "Principal Act" , in clause (i) of sub-section (1-A) for the words "Saharanpur State University, Saharanpur" the words "Maa Shakumbhari University, Saharanpur" shall be *substituted.* Amendment of section 4 of President Act no. 10 of 1973 as amended and re-enacted by U.P. Act no. 29 of 1974

3. In the Schedule to the Principal Act, for the entry appearing at serial no. 15 in Column no. 2 of the said Schedule, for the words "Saharanpur State University, Saharanpur" the words "Maa Shakumbhari University, Saharanpur" shall be *substituted.* Amendment of Schedule

ANANDIBEN PATEL,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
ATUL SRIVASTAVA,
Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 220 राजपत्र–2021–(440)–599 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 5 सा0 विधायी–2021–(441)–300 प्रतियां–(कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।

220 RPH (vidhaika-2021 adhyadesh folder) 2021 data 4e